उत्तर प्रदेश शासन
खेलकूद विभाग
सं0– 256(1)/प्र.स.खे.यु./2010
दिनांक–27 अगस्त, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

श्री राजेश कुमार शर्मा, आर0एस0ओ0 हाल तैनाती खेल निदेशालय, लखनउ को वर्ष 1987 में पदच्युत किया गया था और उनके विरुद्ध 47258रु0 85 पैसे की वसूली के आदेश पारित किया गया था।

उस आदेश के विरुद्ध श्री शर्मा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गये और 21.04.1996 को पदच्युत आदेश को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के द्वारा निरस्त कर दिया गया। परन्तु शासन को यह अनुमति दी गयी कि विभागीय कार्यवाही, उचित स्तर से, प्रचलित रखी जा सकती है।

स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के इस आदेश के विरुद्ध प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय गयी, परन्तु हाई कोर्ट से केवल इस आशय का अन्तरिम उपशम ही मिल पाया कि एरियर/बकाये वेतन का भुगतान का बिन्दु हाईकोर्ट में उस रिट याचिका के निर्णय के बाद ही निर्णीत होगा। वर्ष 1999 में श्री शर्मा को उपरोक्त विभागीय जांच जिसमें उन्हें कालान्तर में पदच्युत किये गये थे, में जो जांच हुई थी, उस जांच अधिकारी की आख्या उन्हें उपलब्ध कराते ;ए उस पर उनकी प्रतिक्रिया की मांग की गयी।

1999 से आज तक इस प्रकरण में उसके बाद से कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पायी है, न तो उपर इंगित धनराशि श्री शर्मा से वसूल की जा सकी और न ही यह जांच पूर्ण हो पायी है।

श्री शर्मा के द्वारा समय–समय पर विभिन्न कागजों की मांग शासन से की जाती रही है और शासन के द्वारा भी उनके पत्रों पर कोई सम्यक ठोस सम्यक कार्यवाही नहीं हो पायी।

श्री शर्मा इस विभागीय जांच के कतिपय बिन्दुओं को उठाते हुए मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या–1048एसबी/1999 में गये और उस प्रकरण में 08.07.1999 में इस आशय के निर्देश प्राप्त हुए कि प्रकरण में अग्रिम अनुशासनात्मक कार्यवाही होती रहे, परन्तु अन्तिम आदेश पारित न किये जांय।

श्री शर्मा के द्वारा एक शपथ–पत्र दिनांक 13.08.2010 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वे उपरोक्त रिट याचिका को न्यायालय से "विद ड्रा" कर लेंगे और शासन कृपया इस प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित कर दे। यह शपथ–पत्र श्री असद अली रिजवी, स्टाम्प विक्रेता कलेक्ट्रेट के यहॉ से क्रम संख्या–11261 दिनांक 13.08.2010 को खरीदा गया है और इसे नोटरी श्री आर0सी0 वर्मा लखनउ के समक्ष 13.8.2010 को सत्यापित कराया गया है।

समस्त तथ्यों के आलोक में और विशेष रूप से निम्न तथ्यों के आलोक में स्थिति स्पष्ट होती है:–

1– प्रकरण में घटना/आरोप वर्ष 1987 से पुरानी है– 1987 में पदच्युत आदेश पारित किया गया था।

2– प्रकरण में जॉच की प्रकिया पर, मा0 स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अपने आदेश 1996 में, कतिपय प्रकियात्मक त्रुटि पा चुका है।

3– पुनः प्रारम्भ जांच प्रकिया (प्रारम्भ वर्ष 1999) अभी तक पूरी नहीं हो पायी है और अब भी यह पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि जांच में अपेक्षित सुसंगत सभी अभिलेख, श्री शर्मा को उपलब्ध कराये गये है।

4– श्री राजेश कुमार शर्मा की अब मात्र दो वर्ष की सेवा अवशेष बची है।

5– उनके विरुद्ध इंगित धन की वसूली भी अभी तक नहीं हो पायी है। ऐसे में, यह विभागीय जांच कार्यवाही, निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ, एतद्द्वारा समाप्त की जाती है:–

अ– यह आदेश श्री शर्मा की अण्डरटेकिंग दिनांक 13.08.2010 के क्रम में जारी किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका को उठाने का शपथ–पत्र दिया है।

ब– यह अनुशास्नात्मक कार्यवाही समाप्ति का आदेश तकनीकी बिन्दु के आधार पर तथा यह देखते हुए कि यह जांच लम्बे समय से लम्बित है तथा Involved आरोप/घटना लगभग 23 वर्ष से अधिक पुराना है तथा श्री शर्मा के रिटायरमेन्ट में केवल दो वर्ष अवशेष हैं, समाप्त की जा रही है और यह गुण–दोष के आधार पर समाप्त नहीं की जा रही है।

स– श्री शर्मा के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा जो टी.ए. अग्रिम लिया गया था उसका चूंकि सामयिक उपभोग नहीं हो पाया है और प्रस्तुत टी0ए0 बिल आदि पर औपचारिक स्वीकृति/अनुमोदन नहीं मिल पाया है और वे उस धन को ऐसे में जमा कराने के लिए राजी हैं। इस कार्य के लिए उन्हें नियमानुसार परिनिन्दित किया जाता है–

"श्री राजेश कुमार शर्मा ने अपने विरुद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही में यह स्वीकार किया है कि कतिपय धनराशि (लगभग 3000 रूपये) आहरित की गयी थी परन्तु उनके द्वारा यह धनराशि उपभोग न करने के बावजूद स्वतः शासन/गवर्नमेन्ट हेड में नहीं जमा करायी गयी। इस कार्य के लिए उनकी निन्दा की जाती है। यह प्रकरण लगभग 23 वर्ष से अधिक पुराना है और श्री शर्मा के द्वारा प्रारम्भ से ही इस धनराशि को वापस जमा करने की पेशकश की जाती रही है।"

द– इस अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी इस आदेश का तात्पर्य यह नहीं है कि श्री शर्मा, उनके पदच्युत आदेश प्रभावी रहने के कार्यकाल में, यथा वर्ष 1987 से 1997 के बकाया वेतन का प्राप्त करने का स्वतः हकदार हो जायेंगे। बकाया वेतन के भुगतान के लिए कतिपय, सुसंगत अन्य तथ्यों को भी, संज्ञान में लेना अनिवार्य होगा और वैसे भी इस प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है। और यथा समय उसपर

जो भी निर्णय मा0 उच्च न्यायालय का होगा, उसी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

य– यह आदेश 15 दिन बाद स्वतः निरस्त हो जायेंगे, यदि श्री शर्मा मा0 उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका 1040एस.ो./1999 को वापस नहीं लेते हैं, क्योंकि यह आदेश इनके अंडरटेकिंग /एफिडेविट दिनांक–13.08.10 के कम में पारित किये जा रहे हैं। उन्हें इन्हीं 15 दिन में, ऊपर अंकनानुसार टी0ए0 बिल की धनराशि भी सुसंगत हेड में जमा कराकर, रसीद निदेशक, खेल को उपलब्ध करना अनिवार्य है।

(डॉ0 ललित वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–256 (1)/42/2010 एतद् दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, को मा0 मंत्री जी द्वारा दिये गये अनुमोदन के कम में

2– निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि वे कृप्या बकाया वेतन वाली रिट याचिका में सुसंगत पैरवी सुनिश्चित करें। कृप्या उपर आश्वासित दोनों कार्यवाहियॉ (विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी रिट की वापसी की कार्यवाही तथा टी. ए. बिल सम्बन्धी धनराशि को जमा कराना) आगामी 15 दिवस में, श्री शर्मा से, सुनिश्चित करावें।

3– संबंधित अधिकारी।

4– खेल अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 ललित वर्मा)
प्रमुख सचिव।